# न्यायालय- उपजिलाधिकारी

**जनपद - मथुरा, तहसील - सदर**
**कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025071047**
**आवेदक का नाम :- प्रमोद राठौर**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**
**आदेश तिथि:- 29/11/2025**

**आदेश**

श्री प्रमोद राठौर पुत्र रामदयाल राठौर निवासी-ए-2080 भूतल फ्रंट ग्रीनफील्ड कॉलौनी, एन एच पी सी कॉलौनी, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा मौजा जचोंदा के खाता संख्या 00449 खसरा संख्या 124मि/3 रकवा 0.4050हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 147मि रकवा 0.6440हे0 में से रकवा 0.2003हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 148मि0 रकवा 0.1210हे0 में से 0.0400हे0 को कृषिक से अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा आख्या दिनांक-21.11.2025 प्राप्त हुयी, जिसमें अंकित किया गया है मौजा जचोंदा के खाता संख्या 00449 खसरा संख्या 124मि/3 रकवा 0.4050हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 147मि रकवा 0.6440हे0 में से रकवा 0.2003हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 148मि0 रकवा 0.1210हे0 में से 0.0400हे0 पर श्री प्रमोद राठौर पुत्र रामदयाल राठौर निवासी-ए-2080 भूतल फ्रंट ग्रीनफील्ड कॉलौनी, एन एच पी सी कॉलौनी, फरीदाबाद, हरियाणा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उपरोक्त भूमि की सीमेन्ट टाइल्स से बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। सहखातेदारों द्वारा सहमति के शपथ-पत्र संलग्न किये है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी भी न्यायालय/राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि के उपयोग के संदर्भ में धारा 133द0प्र0सं0 के अंतर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नहीं हुआ है एवं न ही वर्तमान में प्रचलित है। आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक/सुरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है। मौके पर प्रश्नगत भूमि पर कराए गए निर्माण का फोटोग्राफ, सी0एच0-41, 45 खसरा, खतौनी व नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पत्रांक 2414/ म0वृ0वि0प्रा0/2025-26 दिनांक 12.11.2025 में अंकित किया गया है कि-

1- मथुरा-वृंदावन महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार मौजा जचोंदा के खसरा संख्या 124मि./3, 147मि0 एवं 148मि0 का भू-उपयोग कृषि दर्शित है।

2-उक्त भूमि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में बिन्दु संख्या-01 में अंकित भू-उपयोग कृषि के सम्बन्ध में अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु उक्त भूमि अकृषिक घोषित करायी जा रही है, उसके निर्माण/विकास कार्य से पूर्व अंकित भू-उपयोग परिवर्तित कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही साथ प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराया जाना भी अनिवार्य होगा। उक्त से इतर किसी भी प्रयोजन हेतु अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

तहसीलदार मथुरा की आख्या दिनांक 21.11.2025 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर महोदय द्वारा कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर से मालियत 10000000 प्रति हे0 से मूल्यांकन 10000000×0.4050=40,50,000 होता है, जिसका 01 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क 40,500 तथा 4800000×0.2403=11,53,440 होता है, जिसका 01 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क 11,534.40 है कुल 52,034.40 तथा 50 रुपए न्यायालय फीस होती है। कुल 52,084.40 जमा कराए

जाने के बिन्दु के साथ प्रश्नगत भूमि अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है। तत्क्रम में आवेदक द्वारा आनलाईन ट्रांजेक्शन/चालान संख्या आरएजे250117945 धनराशि रुपया 52,085/-(बामन हजार पिच्चासी रुपए) भुगतान किया गया है। अतएव तहसीलदार मथुरा की जांच आख्या के आधार पर उक्त भूमि उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या दिनांक-21.11.2025 तथा सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा की आख्या दिनांक 12.11.2025 के आधार पर मौजा जचोंदा के खाता संख्या 00449 खसरा संख्या 124मि/3 रकवा 0.4050हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 147मि रकवा 0.6440हे0 में से रकवा 0.2003हे0 व खाता संख्या 00180 खसरा संख्या 148मि0 रकवा 0.1210हे0 में से 0.0400हे0 भूमि को अकृषिक भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की आख्या में अंकित अनुमन्य उपयोगो हेतु ही कार्य किया जाएगा और किसी भी प्रकार के निर्माण/विकास कार्य से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति कराया जाना अनिवार्य है।

| ग्राम का नाम | खातेदार का नाम बल्दियत व पता | खाता सं0 | खसरा संख्या | रकवा | अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खसरा संख्या | रकवा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| जचोंदा | श्री प्रमोद राठौर पुत्र रामदयाल राठौर | 00449 | 124मि./3 | 0.4050 | 124मि./3 | 0.4050 |
| | निवासी-ए-2080 भूतल फ्रंट ग्रीनफील्ड कॉलौनी, | 00180 | 147मि | 0.6440 | 147मि. | 0.2003 |
| | एन एच पी सी कॉलौनी, फरीदाबाद, हरियाणा | 00180 | 148मि | 0.1210 | 148मि | 0.0400 |

यह भूमि वर्तमान फसली से भूराजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर न्यायगमन के विषय में उस व्यैक्तिक विधि से नियंत्रित होगा, जिसके वह अधीन है। तहसीलदार, मथुरा की आख्या उक्त आदेश का अंग होगी। विपरीत तथ्य पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(अभिनव जे0 जैन)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
मथुरा

प्रतिलिपि-

1- तहसीलदार, मथुरा/उप निबन्धक, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों

में कर नकल खतौनी एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अभिनव जे0 जैन)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
मथुरा

Digitally Signed by:
ABHINAV JAIPARKASH JAIN
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 29-11-2025 05:34:36 PM